वित्त मंत्री को कुछ शिकायतें भेजी गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) शिकायतों का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक आफ बड़ौदा की वाराणसी स्थित राम कटोरा शाखा के शाखा प्रबन्धक द्वारा कथित रूप से तंग किए जाने की कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से इनकी जांच की गई थी। जांच से यह पता चला है कि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। उपमह प्रबंधक (निरीक्षण) और मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा भी जांच की गई थी और उन्होंने पाया कि ये आरोप झूठे और निराधार थे।

बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 के अनुसरण में और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं के अनुसरण में बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। इसलिए शिकायत का स्वरूप और ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

बैंक आफ बड़ौदा, वाराणसी द्वारा स्वीकृत ऋण का न दिया जाना

751. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1982 और 3 फरवरी, 1982 को वाराणसी के दैनिक समाचार पत्र "संमार्ग" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक मामले में बैंक आफ बड़ौदा की वाराणसी शाखा द्वारा एक लाख दस हजार रुपये के स्वीकृत ऋण का भुगतान इसलिए नहीं किया गया था कि उस शाखा के मैनेजर को रिश्वत नहीं दी गई थी ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ; और

(ख) सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 14 जनवरी, 1982 और 3 फरवरी, 1982 को वाराणसी से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "संमार्ग" में इस आशय की एक समाचार टिप्पणी प्रकाशित हुई थी, कि बैंक आफ बड़ौदा की वाराणसी शाखा द्वारा 1,10,000/- रुपये के एक स्वीकृत ऋण का भुगतान इसलिए नहीं किया गया कि उस शाखा के मैनेजर को रिश्वत नहीं दी गई। बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय से भेजे गए दो अधिकारियों तथा बैंक के केन्द्रीय जांच विभाग से भेजे गए एक अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच करायी गयी है। उप-महाप्रबन्धक (निरीक्षण) तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी और मुख्य प्रबन्धक (सतर्कता) ने भी इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच की। निरीक्षकों को इस शिकायत में कोई तथ्य नहीं मिला। बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार बैंकों के ग्राहकों के अलग-अलग खातों के ब्यौरों को प्रकट नहीं किया जा सकता।